

F.No. 04-05/2015-SPN-I
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi- 110 001.
Dated 20.06.2022

To,

1. All Chief Postmasters General / All Postmasters General
2. Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy (RAKNPA)
3. All Directors of Postal Training Centre


Subject: Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022- reg

Madam/Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022 notified in the Official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR No. 459(E) on 17.06.2022.

2. It is requested that the provisions of aforesaid Recruitment Rules may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,



(Satya Narayana Dash)
Assistant Director General (SPN)

Encl: As above

Copy for information to:

1. Sr. PPS to Secretary (Posts)
2. Sr. PPS to Director General Postal Services
3. All Members of the Postal Service Board
4. Secretary (PSB)
5. CGM (BD) / CGM (MB) / CGM (PLI)
6. All Deputy Directors General
7. SPN-II Section / DE Section / GDS Section
8. All recognised Service Associations / Federations
9. GM (CEPT), Mysore for uploading the letter along with the copy of Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022 on India Post website.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062022-236710
CG-DL-E-18062022-236710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]
No. 438]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

सा.का.नि. 459(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक समूह 'ग' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय, अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय, डाक विभाग में डाक सहायक (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय), डाक सहायक (चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई स्थित विदेश डाक संगठनों में), डाक सहायक (बचत बैंक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच संगठन), डाक सहायक (डाकघर) और छंटाई सहायक (रेल डाक सेवा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इनसे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहताएं** : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **सेवा की अपेक्षा** : उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी, जिसके अंतर्गत सेना डाक सेवा भी है, सेवा करने के लिए बाध्य होगा।
6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है; वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. डाक सहायक (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय)	2738* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण : इन पदों को 23 डाक सर्किलों में वितरित किया गया है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और (ii) कंप्यूटर पर कार्य	नहीं	डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय) के लिए प्रेरक

<p>निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p> <p>टिप्पण 2 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भिन्न किसी अन्य माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>(ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए ऊपरी आयु सीमा, उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई है चालीस वर्ष होगी या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>(सीधे भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p>	<p>करने का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण : ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पद धारण किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण ही रहेगी।</p>		<p>प्रशिक्षण' को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>
--	---	--	---

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर :-</p>	<p>सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति :</p> <p>भाग (अ) :-</p> <p>(1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) सहायक महाडाकपाल या</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>(क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई हैं या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती।</p> <p>(ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासकीय अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पदधारण किए हुए हैं, पांच वर्ष ही रहेगी।</p>	<p>सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है;</p> <p>(2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है;</p> <p>(3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>भाग (आ) :-</p> <p>वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा भी है।</p> <p>टिप्पण 1 : सेवा शर्त की पात्रता, उस वर्ष की 1 जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को पूरा करने के अध्यक्षीन होगी।</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।</p>	<p>सहायक निदेशक - अध्यक्ष</p> <p>(2) दो सहायक निदेशक या सहायक डाक अधीक्षक - सदस्य</p>	
---	--	---	--

	<p>यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38 के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है।</p> <p>टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न कि उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन, बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड करियर प्रोग्रेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. डाक सहायक (चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई स्थित विदेश डाक संगठनों में)	457* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
<p>(i) 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदर्शों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण 1 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p> <p>टिप्पण 2 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भिन्न किसी अन्य माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>(ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए ऊपरी आयु-सीमा, उस वर्ष</p>	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और</p> <p>(ii) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण : ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पद धारण किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण ही रहेगी।</p>	नहीं	डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (विदेश डाक संगठन) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

<p>की 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई है चालीस वर्ष होगी या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>(सीधे भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p>			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती।</p> <p>(ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित</p>	<p>सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति :</p> <p>भाग (अ) :-</p> <p>(1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है;</p> <p>(2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है;</p> <p>(3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>भाग (आ) :-</p> <p>वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा भी है।</p> <p>टिप्पण 1 : सेवा शर्त की पात्रता, उस वर्ष की 1 जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक या डाकघर अधीक्षक या सहायक निदेशक - अध्यक्ष</p> <p>(2) दो डाकघर अधीक्षक या सहायक निदेशक या सहायक डाक अधीक्षक - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासकीय अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पदधारण किए हुए हैं, पांच वर्ष ही रहेगी।</p>	<p>द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (विदेश डाक संगठन) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को पूरा करने के अध्यक्षीन होगी।</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।</p> <p>यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38 के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है।</p> <p>टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न कि उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन, बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड करियर प्रोग्रेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. डाक सहायक (बचत बैंक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच संगठन)	3265* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण : इन पदों को 23 डाक सर्किलों में वितरित किया गया है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित्वीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
(i) 18 से 27 वर्ष के बीच	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या	नहीं	डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित

<p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण 1 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p> <p>टिप्पण 2 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भिन्न किसी अन्य माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>(ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए ऊपरी आयु सीमा, उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई है चालीस वर्ष होगी या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>(सीधे भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p>	<p>संस्थान से बैचलर डिग्री; और</p> <p>(ii) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण : ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पद धारण किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण ही रहेगी।</p>		<p>‘डाक सहायकों (बचत बैंक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच संगठन) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण’ को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>
--	---	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-</p>	<p>सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति :</p> <p>भाग (अ) :-</p> <p>(1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है;</p> <p>(2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है;</p> <p>(3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) सहायक महाडाकपाल या सहायक निदेशक - अध्यक्ष</p> <p>(2) दो सहायक निदेशक या सहायक डाक अधीक्षक - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती।</p> <p>(ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासकीय अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पदधारण किए हुए हैं, पांच वर्ष ही रहेगी।</p>	<p>नियमित सेवा की है।</p> <p>भाग (आ) :-</p> <p>वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा भी है।</p> <p>टिप्पण 1 : सेवा शर्त की पात्रता, उस वर्ष की 1 जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (बचत बैंक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच संगठन) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को पूरा करने के अधीन होगी।</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।</p> <p>यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38 के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है।</p> <p>टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न कि उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन, बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड</p>		
--	---	--	--

	करियर प्रोग्रेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. डाक सहायक (डाकघर)	69996* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण : इन पदों को 23 डाक सर्किलों में वितरित किया गया है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
<p>(i) 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण 1 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p> <p>टिप्पण 2 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भिन्न किसी अन्य माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>(ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए ऊपरी आयु सीमा, उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई है चालीस वर्ष होगी या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>(सीधे भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p>	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और</p> <p>(ii) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण : ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पद धारण किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण ही रहेगी।</p>	नहीं	डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (डाकघर) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से	पुष्टि के संबंध में	संघ लोक सेवा

<p>कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती।</p> <p>(ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासकीय अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p>	<p>प्रोन्नति :</p> <p>भाग (अ) :-</p> <p>(1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है;</p> <p>(2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है;</p> <p>(3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>भाग (आ) :-</p> <p>वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा भी है।</p> <p>टिप्पण 1 : सेवा शर्त की पात्रता, उस वर्ष की 1 जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'डाक सहायकों (डाकघर) के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को पूरा करने के अध्यक्षीन होगी।</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी</p>	<p>विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक या डाकघर अधीक्षक - अध्यक्ष</p> <p>(2) दो सहायक डाक अधीक्षक - सदस्य</p>	<p>आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>
--	---	--	---

<p>टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पदधारण किए हुए हैं, पांच वर्ष ही रहेगी।</p>	<p>अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।</p> <p>यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38 के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है।</p> <p>टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न कि उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन, बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड करियर प्रोग्रेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।</p>		
---	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>5. छंटाई सहायक (रेल डाक सेवा)</p>	<p>17694* (2022)</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण : इन पदों को 23 डाक सर्किलों में वितरित किया गया है।</p>	<p>साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित्वीय</p>	<p>वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)</p>	<p>चयन</p>

(6)	(7)	(8)	(9)
<p>(i) 18 से 27 वर्ष के बीच</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण 1 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p> <p>टिप्पण 2 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भिन्न किसी अन्य माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और</p> <p>(ii) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण : ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पद धारण किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त</p>	<p>नहीं</p>	<p>डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'छंटाई सहायकों के लिए प्रेरक प्रशिक्षण' को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>

<p>(ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए ऊपरी आयु सीमा, उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई है चालीस वर्ष होगी या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>(सीधे भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p>	<p>बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण ही रहेगी।</p>		
--	---	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) चालीस प्रतिशत, डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (अ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(क) डाक लेखा कार्यालय या विंग के पदधारियों को छोड़कर स्तंभ (11) के अधीन की प्रविष्टि के भाग (आ) पर उल्लिखित सर्किल के पात्र पदधारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(ख) सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों* की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 01 जनवरी को, जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उस हैसियत में आठ वर्ष नियमित कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर :-</p> <p>(ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती।</p> <p>(ii) साठ प्रतिशत, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता</p>	<p>सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति :</p> <p>भाग (अ) :-</p> <p>(1) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के पदों पर पांच वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है;</p> <p>(2) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 के पदों पर की गई नियमित सेवा भी है;</p> <p>(3) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>भाग (आ) :-</p> <p>वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा भी है।</p> <p>टिप्पण 1 : सेवा शर्त की पात्रता, उस वर्ष की 1 जनवरी को होगी जिसमें रिक्ति हुई है या पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'छंटाई सहायकों के लिए प्रेरक</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) ज्येष्ठ रेल डाक सेवा अधीक्षक या रेल डाक सेवा अधीक्षक - अध्यक्ष</p> <p>(2) दो सहायक डाक अधीक्षक - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1 : ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासकीय अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं किंतु उन्हें नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर के होने के कारण उनकी नियुक्ति, सीधी भर्ती के रूप में मानी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पदधारण किए हुए हैं, पांच वर्ष ही रहेगी।</p>	<p>प्रशिक्षण' को पूरा करने के अध्यक्षीन होगी।</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।</p> <p>यह शर्त, ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-IV के नियम-38 के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है।</p> <p>टिप्पण 4 : किसी पदधारी की पात्रता, अधिष्ठापी रूप से धारित पद से और वेतन मेट्रिक्स में उस पद के सुसंगत वेतन स्तर से अवधारित की जाएगी, न कि उस स्तर से जिसमें उस पदधारी की पात्रता की निर्णायक तारीख को टाइम बाउंड वन प्रमोशन, बाइनियल कैडर रिव्यू या मॉडिफाइड एशोर्ड करियर प्रोग्रेशन के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के आधार पर, वेतन प्राप्त कर रहा है।</p>		
---	---	--	--

[फा. सं. 04-05/2015-एसपीएन-I]

सत्य नारायण दास, निदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2022

G.S.R. 459(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant Group 'C' Non-Gazetted Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Postal Assistant (Circle Office and Regional Offices), Postal Assistant (In the Foreign Post Organisations in Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai),

Postal Assistant (Savings Bank Control and Internal Check Organisations), Postal Assistant (Post Office) and Sorting Assistant (Railway Mail Service) in the Ministry of Communications, Department of Posts, namely:-

1. **Short title and Commencement.** – (1) These rules may be called the Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and level in the pay matrix.** – The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Requirement to serve.** – Any person appointed to the posts specified in the said Schedule shall be liable to serve anywhere in India including in Army Postal Services.

6. **Power to Relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Postal Assistant (Circle Office and Regional Offices).	2738* (2022). * Subject to variation dependent on workload. Note: The posts are distributed amongst 23 postal circles.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications	Whether age and educational qualification	Period of probation, if any.

	required for direct recruits.	prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	
(6)	(7)	(8)	(9)
<p>(i) Between 18 and 27 years. (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time-to-time).</p> <p>Note 1: In case of recruitment made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through mode other than through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep.</p> <p>(ii) Upper age-limit for Gramin Dak Sevaks* shall be forty years as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government, from time-to-time. (Relaxable for those belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe up to five years and for those belonging to Other Backward Classes up to three years).</p> <p>*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</p>	<p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) knowledge of working on Computer.</p> <p>Note: Educational qualification shall continue to be 10+2 pass from a recognised Board for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	No.	Two years for direct recruits subject to successful completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Circle Office and Regional Offices)', conducted by the Postal Training Centre.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)

<p>(i) Forty per cent, by promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(A) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p> <p>(a) promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(B) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p> <p>(b) direct recruitment on the basis of competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the Circle, who have worked regularly for eight years in that capacity, as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility, failing which by: -</p> <p>(c) direct recruitment of next year through open competition.</p> <p>(ii) Sixty per cent, by direct recruitment through open competition as per the scheme approved by the Department of Posts from time-to-time.</p> <p>Note 1: The scheme for Limited Departmental Competitive Examinations and Competitive Examination</p>	<p>Promotion through Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>Part- (A): -</p> <p>(1) Officials holding post in Level 3 of the Pay Matrix with three years of regular service in such post or five years of combined regular service in posts in Level 1, Level 2 and Level 3 of Pay Matrix;</p> <p>(2) officials holding post in Level 2 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post including the regular service in posts in Level 1 of Pay Matrix;</p> <p>(3) officials holding post in Level 1 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post.</p> <p>Part - (B): -</p> <p>Officials holding post in Level 1, Level 2 and Level 3 of the Pay Matrix with total regular service of eight years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks.</p> <p>Note 1: Eligibility of service condition shall be as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility.</p> <p>Note 2: Promotion shall be subject to completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Circle Office and Regional Offices)', conducted by the Postal Training Centre, within two years from the date of appointment to the promotional post:</p> <p>Provided that persons who are due to retire within two years shall be exempted from such training.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would</p>	<p>Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of:</p> <p>—</p> <p>(1) Assistant Post Master General or Assistant Director — Chairman</p> <p>(2) Two Assistant Director or Assistant Superintendent of Posts — Members</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>
---	---	---	--

<p>for Gramin Dak Sevaks shall be governed by the administrative instructions issued by the Department of Posts from time-to- time.</p> <p>Note 2: *Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</p> <p>Note 3: The eligibility service shall continue to be five years for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	<p>also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.</p> <p>Note 4: Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in Pay Matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.</p>		
---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Postal Assistant (In the Foreign Post Organisations in Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai).	457* (2022). * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
<p>(i) Between 18 and 27 years. (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time-to-time).</p> <p>Note 1: In case of recruitment made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through mode other than through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for</p>	<p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Knowledge of working on Computer.</p> <p>Note: Educational qualification shall continue to be 10+2 pass from a recognised Board for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	No.	Two years for direct recruits subject to successful completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Foreign Post Organisation)', conducted by the Postal Training Centre.

<p>receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep.</p> <p>(ii) Upper age-limit for Gramin Dak Sevaks* shall be forty years as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time-to-time.</p> <p>(Relaxable for those belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe up to five years and for those belonging to Other Backward Classes up to three years).</p> <p>*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</p>			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) Forty per cent, by promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(A) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p> <p>(a) promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(B) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p> <p>(b) direct recruitment on the basis of competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the Circle,</p>	<p>Promotion through Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>Part- (A): -</p> <p>(1) Officials holding post in Level 3 of the Pay Matrix with three years of regular service in such post or five years of combined regular service in posts in Level 1, Level 2 and Level 3 of Pay Matrix;</p> <p>(2) officials holding post in Level 2 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post including the regular service in posts in Level 1 of Pay Matrix;</p> <p>(3) officials holding post in Level 1 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post.</p> <p>Part - (B): -</p> <p>Officials holding post in Level 1, Level 2</p>	<p>Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: -</p> <p>(1) Senior Superintendent of Post Offices or Superintendent of Post Offices or Assistant Director — Chairman</p> <p>(2) Two Superintendent of Post Offices or Assistant Director or Assistant Superintendent of Posts — Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>who have worked regularly for eight years in that capacity, as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility, failing which by: -</p> <p>(c) direct recruitment of next year through open competition.</p> <p>(ii) Sixty per cent, by direct recruitment through open competition as per the scheme approved by the Department of Posts from time to time.</p> <p>Note 1: The scheme for Limited Departmental Competitive Examinations and Competitive Examination for Gramin Dak Sevaks shall be governed by the administrative instructions issued by the Department of Posts from time-to-time.</p> <p>Note 2: *Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</p> <p>Note 3: The eligibility service shall continue to be five years for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	<p>and Level 3 of the Pay Matrix with total regular service of eight years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks.</p> <p>Note 1: Eligibility of service condition shall be as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility.</p> <p>Note 2: Promotion shall be subject to completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Foreign Post Organisation)', conducted by the Postal Training Centre, within two years from the date of appointment to the promotional post:</p> <p>Provided that persons who are due to retire within two years shall be exempted from such training.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.</p> <p>Note 4: Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in Pay Matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Postal Assistant (Savings Bank Control and Internal Check Organisations).	3265* (2022). * Subject to variation dependent on workload. Note: The posts are distributed amongst 23 postal circles.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
<p>(i) Between 18 and 27 years. (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time-to-time).</p> <p>Note 1: In case of recruitment made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through mode other than through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep.</p> <p>(ii) Upper age limit for Gramin Dak Sevaks* shall be forty years as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time-to-time.</p> <p>(Relaxable for those belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe up to five years and for those belonging to other Backward Classes up to three years).</p> <p>*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as</p>	<p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Knowledge of working on Computer.</p> <p>Note: Educational qualification shall continue to be 10+2 pass from a recognised Board for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	No.	Two years for direct recruits subject to successful completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Savings Bank Control and Internal Check Organisations)', conducted by the Postal Training Centre.

direct recruitment.			
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) Forty per cent, by promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(A) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p> <p>(a) promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(B) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p> <p>(b) direct recruitment on the basis of competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the Circle, who have worked regularly for eight years in that capacity, as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time-to-time regarding crucial date of eligibility, failing which by: -</p> <p>(c) direct recruitment of next year through open competition.</p> <p>(ii) Sixty per cent, by direct recruitment through open competition as per the scheme approved by the Department of Posts from time-to-time.</p> <p>Note 1: The scheme for Limited Departmental Competitive Examinations and Competitive Examination for Gramin Dak Sevaks shall be governed by the administrative instructions</p>	<p>Promotion through Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>Part- (A): -</p> <p>(1) Officials holding post in Level 3 of the Pay Matrix with three years of regular service in such post or five years of combined regular service in posts in Level 1, Level 2 and Level 3 of Pay Matrix;</p> <p>(2) officials holding post in Level 2 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post including the regular service in posts in Level 1 of Pay Matrix;</p> <p>(3) officials holding post in Level 1 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post.</p> <p>Part - (B): -</p> <p>Officials holding post in Level 1, Level 2 and Level 3 of the Pay Matrix with total regular service of eight years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks.</p> <p>Note 1: Eligibility of service condition shall be as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility.</p> <p>Note 2: Promotion shall be subject to completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Savings Bank Control and Internal Check Organisations)', conducted by the Postal Training Centre, within two years from the date of appointment to the promotional post:</p> <p>Provided that persons who are due to retire within two years shall be exempted from such training.</p>	<p>Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: -</p> <p>(1) Assistant Post Master General or Assistant Director — Chairman.</p> <p>(2) Two Assistant Director or Assistant Superintendent of Posts — Members.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>issued by the Department of Posts from time-to-time.</p> <p>Note 2: *Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</p> <p>Note 3: The eligibility service shall continue to be five years for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	<p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.</p> <p>Note 4: Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in Pay Matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.</p>		
---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Postal Assistant (Post Office).	69996* (2022). * Subject to variation dependent on workload. Note: The posts are distributed amongst 23 postal circles.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
(i) Between 18 and 27 years. (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time-to-time).	(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and (ii) Knowledge of working on Computer. Note: Educational	No.	Two years for direct recruits subject to successful completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Post Office)',

<p>Note 1: In case of recruitment made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through mode other than through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep.</p> <p>(ii) Upper age-limit for Gramin Dak Sevaks* shall be forty years as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time-to-time.</p> <p>(Relaxable for those belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe up to five years and for those belonging to other Backward Classes up to three years).</p> <p>*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</p>	<p>qualification shall continue to be 10+2 pass from a recognised Board for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>		<p>conducted by the Postal Training Centre.</p>
--	---	--	---

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) Forty per cent, by promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(A) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p> <p>(a) promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(B) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p>	<p>Promotion through Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>Part- (A): -</p> <p>(1) Officials holding post in Level 3 of the Pay Matrix with three years of regular service in such post or five years of combined regular service in posts in Level 1, Level 2 and Level 3 of Pay Matrix;</p> <p>(2) officials holding post in Level 2 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post including</p>	<p>Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: -</p> <p>(1) Senior Superintendent of Post Offices or Superintendent of Post Offices — Chairman</p> <p>(2) Two Assistant Superintendent of Posts — Members</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>(b) direct recruitment on the basis of competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the Circle, who have worked regularly for eight years in that capacity, as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility, failing which by: -</p> <p>(c) direct recruitment of next year through open competition.</p> <p>(ii) Sixty per cent, by direct recruitment through open competition as per the scheme approved by the Department of Posts from time-to-time.</p> <p>Note 1: The scheme for Limited Departmental Competitive Examinations and Competitive Examination for Gramin Dak Sevaks shall be governed by the administrative instructions issued by the Department of Posts from time-to-time.</p> <p>Note 2: *Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</p> <p>Note 3: The eligibility service shall continue to be five years for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	<p>the regular service in posts in Level 1 of Pay Matrix;</p> <p>(3) officials holding post in Level 1 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post.</p> <p>Part - (B): -</p> <p>Officials holding post in Level 1, Level 2 and Level 3 of the Pay Matrix with total regular service of eight years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks.</p> <p>Note 1: Eligibility of service condition shall be as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time-to-time regarding crucial date of eligibility.</p> <p>Note 2: Promotion shall be subject to completion of 'Induction Training for Postal Assistant (Post Office)', conducted by the Postal Training Centre, within two years from the date of appointment to the promotional post:</p> <p>Provided that persons who are due to retire within two years shall be exempted from such training.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority after availing transfer under Rule-38 of the Postal</p>		
--	--	--	--

	<p>Manual Volume-IV.</p> <p>Note 4: Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in Pay Matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Sorting Assistant (Railway Mail Service).	<p>17694* (2022). * Subject to variation dependent on workload.</p> <p>Note: The posts are distributed amongst 23 postal circles.</p>	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
<p>(i) Between 18 and 27 years. (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time-to-time).</p> <p>Note 1: In case of recruitment made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through mode other than through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep.</p>	<p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Knowledge of working on Computer.</p> <p>Note: Educational qualification shall continue to be 10+2 pass from a recognised Board for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	No.	Two years for direct recruits subject to successful completion of 'Induction Training for Sorting Assistant', conducted by the Postal Training Centre.

<p>(ii) Upper age-limit for Gramin Dak Sevaks* shall be forty years as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time-to-time.</p> <p>(Relaxable for those belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe up to five years and for those belonging to other Backward Classes up to three years).</p> <p>*Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</p>			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) Forty per cent, by promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(A) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p> <p>(a) promotion of eligible officials of the Circle, mentioned at Part-(B) of the entry under column (11), excluding officials from Postal Account Office or Wing, through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by: -</p> <p>(b) direct recruitment on the basis of competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the Circle, who have worked regularly for eight years in that capacity, as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility, failing which by: -</p> <p>(c) direct recruitment of next year through open competition.</p> <p>(ii) Sixty per cent, by direct recruitment through open competition as per the scheme approved by the Department of</p>	<p>Promotion through Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>Part- (A): -</p> <p>(1) Officials holding post in Level 3 of the Pay Matrix with three years of regular service in such post or five years of combined regular service in posts in Level 1, Level 2 and Level 3 of Pay Matrix;</p> <p>(2) officials holding post in Level 2 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post including the regular service in posts in Level 1 of Pay Matrix;</p> <p>(3) officials holding post in Level 1 of the Pay Matrix with five years of regular service in such post.</p> <p>Part - (B): -</p> <p>Officials holding post in Level 1, Level 2 and Level 3 of the Pay Matrix with total regular service of eight years including</p>	<p>Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: -</p> <p>(1) Senior Superintendent of Railway Mail Service or Superintendent of Railway Mail Service — Chairman</p> <p>(2) Two Assistant Superintendent of Posts — Members</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>Posts from time-to-time.</p> <p>Note 1: The scheme for Limited Departmental Competitive Examinations and Competitive Examination for Gramin Dak Sevaks shall be governed by the administrative instructions issued by the Department of Posts from time-to-time.</p> <p>Note 2: *Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.</p> <p>Note 3: The eligibility service shall continue to be five years for person holding the post of Gramin Dak Sevaks on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	<p>service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks.</p> <p>Note 1: Eligibility of service condition shall be as on 01st day of January of the year to which the vacancy belongs to or as per guidelines issued by the Central Government from time to time regarding crucial date of eligibility.</p> <p>Note 2: Promotion shall be subject to completion of 'Induction Training for Sorting Assistant', conducted by the Postal Training Centre, within two years from the date of appointment to the promotional post:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that persons who are due to retire within two years shall be exempted from such training.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p style="padding-left: 40px;">This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.</p> <p>Note 4: Eligibility of an official</p>		
--	--	--	--

	shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in Pay Matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.		
--	---	--	--

[F. No. 04-05/2015-SPN-I]

SATYA NARAYANA DASH, Director (SPN)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241988
CG-DL-E-14012023-241988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 21(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती (संशोधित) नियम, 2023 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के संक्षिप्त नाम में दिए “(डाक सहायक & छंटाई सहायक)” कोष्ठक, शब्द और चिह्न के स्थान पर, “(डाक सहायक और छंटाई सहायक)” कोष्ठक और शब्द रखा जाएगा।
3. उक्त नियमों की अनुसूची में, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, और 5 पर दिए गए पदों के संबंध में स्तंभ (11) के अधीन की गई प्रविष्टियों के भाग (अ) के स्थान पर –
 - (i) टिप्पण 1 से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 के लागू होने अथवा इससे पूर्व, ग्रामीण डाक

सेवकों के रूप में नियमित सेवा की हो, के लिए नियमित सेवा की कुल अवधि पांच वर्ष होगी, जिसके अधीन ग्रामीण डाक सेवक के रूप में की गई नियमित सेवा सम्मिलित है।”;

(ii) टिप्पण 2 में, “यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति” शब्दों से लेकर, “पूरा करने के अध्यक्षीन होगी” तक के भाग के साथ आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

“यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित ‘प्रेरक प्रशिक्षण’ को पूरा करने के अध्यक्षीन होगी।”;

(iii) टिप्पण 3 में, “जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है” शब्दों और आंकड़ों से लेकर, “अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो” तक के भाग के साथ आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

“जहां कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु -”

(क) ज्येष्ठ व्यक्तियों तथा कनिष्ठ व्यक्तियों, दोनों को भर्ती प्रक्रिया के एक-समान माध्यम से भर्ती किया गया हो और दोनों ने वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व एक ही फीडर संवर्ग में रहे हों।

(ख) ज्येष्ठ व्यक्तियों द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।”

[फा. सं. 04-05/2015-एसपीएन-1]

सत्य नारायण दास, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 459(अ), तारीख 17 जून, 2022 के अधीन प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2023

G.S.R. 21(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022, namely:-

(1) These rules may be called the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant) Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022 (hereinafter to be called as the said rules), in the short title, for the brackets, words and symbol “(Postal Assistant & Sorting Assistant)”, the brackets and words “(Postal Assistant and Sorting Assistant)” shall be substituted.

3. In the Schedule to the said rules, in the posts against serial number 1, 2, 3, 4 and 5, in the entries under column (11), in Part (B),—

(i) before Note 1, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that for officials holding post in Level 1, Level 2 and Level 3 of the Pay Matrix, who have rendered regular service as Gramin Dak Sevaks on or before the commencement of the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022, the total regular service including the service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks shall be five years.”;

(ii) in Note 2, for the portion beginning with the words “Promotion shall be subject to completion of” and ending with the words “appointment to the promotional post:”, the following shall be substituted, namely:—

“Promotion shall be subject to completion of ‘Induction Training’, conducted by the Postal Training Centre, within two years from the date of appointment to the promotional post:”;

(iii) in Note 3, for the portion beginning with the words and figure “Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service” and ending with the words “who have already completed such qualifying or eligibility service”, the following shall be substituted, namely:—

“Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, seniors shall also be considered, provided—”

- (a) both the senior and junior were recruited through same mode of recruitment and were holding same feeder cadre prior to appointment to the present post on regular basis; or
- (b) seniors are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”.

[F. No. 04-05/2015-SPN-I]

SATYA NARAYANA DASH, Director

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 459(E), dated the 17th June, 2022.